

हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि प्रशिक्षण के संबंध में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

प्रश्न: 1 केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान/हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण प्रशिक्षण के लिए क्या पात्रता है अथवा यह किन-किन लोगों/कर्मचारियों को प्रदान किया जा सकता है?

उत्तर: *केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान/ हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत हिंदी शब्द संसाधन/ हिंदी टंकण का प्रशिक्षण, केंद्र सरकार के मंत्रालयों, विभागों और इसके अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, निगमों, निकायों तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों में कार्यरत सभी अवर श्रेणी लिपिकों, अंग्रेजी टंककों, डाक विभाग में डाक सहायकों एवं कार्यालय सहायकों, रेल डाक सेवा में कार्यालय सहायकों, छंटाई सहायकों, दूरसंचार विभाग में दूरसंचार सहायकों, आयकर तथा कस्टम एवं एक्साइज विभाग में कर सहायकों, विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों में कंप्यूटर ऑपरेटरों, डाटा एंट्री ऑपरेटरों आदि के लिए अनिवार्य है। इसके अलावा इसमें ग्रुप 'ग' के वे कर्मचारी भी शामिल होंगे जो इसी प्रकृति का कार्य करते हैं और जिनके भिन्न पदनाम और भिन्न वेतनमान हैं।¹

इसके अतिरिक्त वर्तमान में सहायकों, उच्च श्रेणी लिपिकों तथा हिंदी अनुवादकों के लिए हिंदी शब्द संसाधन/ हिंदी टंकण का प्रशिक्षण अनिवार्य नहीं है, अतः इन्हें हिंदी शिक्षण योजना की हिंदी शब्द संसाधन/ हिंदी टंकण की कक्षाओं में स्वैच्छिक आधार पर नामित किया जा सकता है।² सभी वर्ग के अधिकारियों, जिनके लिए हिंदी शब्द संसाधन/ हिंदी टंकण का प्रशिक्षण अनिवार्य नहीं है, किंतु उपयोगी है, को स्वैच्छिक आधार पर नामित किया जा सकता है और स्थान उपलब्ध होने पर इन्हें कक्षाओं में प्रवेश दिया जा सकता है।³

****** इस प्रशिक्षण में प्रवेश के लिए हिंदी के साथ मिडिल (आठवीं) या उसके समकक्ष अन्य कोई परीक्षा जैसे हिंदी शिक्षण योजना की प्रवीण परीक्षा उत्तीर्ण कार्मिक ही पात्र होंगे।

[\(1\) कार्यालय जापन संख्या-16/22/60-रा.भा. दिनांक 30-07-1960.](#)

[\(2\) कार्यालय जापन संख्या-12011/4/74-हिंदी-2-रा.भा.\(डी\) दिनांक 11-08-1975.](#)

[\(3\) कार्यालय जापन संख्या-21034/76/2008-रा.भा.\(प्रशि.\)/\(ii\) दिनांक 03-12-2008.](#)

प्रश्न: 2 केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान/हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत हिंदी आशुलिपि प्रशिक्षण के लिए क्या पात्रता है अथवा यह किन-किन लोगों/कर्मचारियों को प्रदान किया जा सकता है?

उत्तर: *केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान/ हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत हिंदी शब्द संसाधन/ हिंदी टंकण का प्रशिक्षण, केंद्र सरकार के मंत्रालयों, विभागों और इसके अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, निगमों, निकायों तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों में कार्यरत सभी वर्ग के अंग्रेजी आशुलिपिकों, वैयक्तिक सहायकों, निजी सचिवों के लिए अनिवार्य है।⁴ इसके अतिरिक्त हिंदी शब्द संसाधन/ हिंदी टंकण जानने वाले अवर श्रेणी लिपिकों/ टंककों को भी हिंदी आशुलिपि कक्षाओं में स्वैच्छिक आधार पर नामांकित किया जा सकता है और कक्षाओं में स्थान रिक्त होने पर प्रवेश दिया जा सकता है, बशर्ते संबंधित विभाग/कार्यालय द्वारा

यह प्रमाणित कर दिया जाए कि उस कर्मचारी की हिंदी आशुलिपि में प्रवीणता का कार्यालय के कार्य में उपयोग किए जाने की संभावना है।⁵

****** इस प्रशिक्षण में प्रवेश के लिए हिंदी के साथ मैट्रिक या उसके समकक्ष अन्य कोई परीक्षा जैसे हिंदी शिक्षण योजना की प्राज्ञ परीक्षा उत्तीर्ण कार्मिक ही पात्र होंगे।

[\(4\) कार्यालय जापन संख्या-16/22/60-रा.भा. दिनांक 30-07-1960.](#)

[\(5\) कार्यालय जापन संख्या-3/40/65- रा.भा. दिनांक 02-09-1965.](#)

प्रश्न: 3 क्या हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण तथा हिंदी आशुलिपि प्रशिक्षण तदर्थ आधार अथवा कांट्रेक्ट आधार पर नियुक्त कर्मचारियों को प्रदान किया जा सकता है?

उत्तर: नहीं। तदर्थ आधार पर अथवा कांट्रेक्ट आधार पर नियुक्त कर्मचारी हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण तथा हिंदी आशुलिपि प्रशिक्षण के पात्र नहीं हैं।

प्रश्न: 4 हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण प्रशिक्षण की अवधि कितनी होती है? यह प्रशिक्षण कब प्रारंभ होता है?

उत्तर: (1) हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण नियमित प्रशिक्षण की अवधि 6 माह की होती है। इसमें कक्षाएं प्रतिदिन 1-1 घंटे की होती हैं। यह प्रशिक्षण प्रतिवर्ष फरवरी तथा अगस्त माह में प्रारंभ होता है।

(2) हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण गहन प्रशिक्षण की अवधि 40 पूर्ण कार्य दिवस होती है। वर्ष में लगभग 5 सत्र होते हैं। प्रशिक्षण कैलेंडर केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान की वेबसाइट www.chti.rajbhasha.gov.in पर देखा जा सकता है।

प्रश्न: 5 हिंदी आशुलिपि प्रशिक्षण की अवधि कितनी होती है? यह प्रशिक्षण कब प्रारंभ होता है?

उत्तर: (1) हिंदी आशुलिपि नियमित प्रशिक्षण की अवधि 1 वर्ष की होती है। इसमें कक्षाएं प्रतिदिन 1-1 घंटे की होती हैं। यह प्रशिक्षण प्रतिवर्ष फरवरी तथा अगस्त माह में प्रारंभ होता है। वर्ष में 2 सत्र फरवरी से जनवरी तथा अगस्त से जुलाई होते हैं।

(2) हिंदी आशुलिपि गहन प्रशिक्षण की अवधि 80 पूर्ण कार्य दिवस होती है। वर्ष में 1 सत्र होता है। प्रशिक्षण कैलेंडर केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान की वेबसाइट www.chti.rajbhasha.gov.in पर देखा जा सकता है।

प्रश्न: 6 हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि प्रशिक्षण के लिए केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान/हिंदी शिक्षण योजना द्वारा क्या-क्या व्यवस्था की गई है?

उत्तर: केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान/ हिंदी शिक्षण योजना द्वारा हिंदी शब्द संसाधन/ हिंदी टंकण प्रशिक्षण की के लिए निम्नलिखित व्यवस्थाएं की गई हैं:-

(1) दीर्घकालिक प्रशिक्षण- देशभर में 16 नगरों में कुल 24 प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए गए हैं । इन प्रशिक्षण केंद्रों पर हिंदी शब्द संसाधन/ हिंदी टंकण प्रशिक्षण 6 माह (प्रतिदिन 1-1 घंटा) का प्रशिक्षण तथा हिंदी आशुलिपि 1 वर्ष (प्रतिदिन 1-1 घंटा) का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

(2) अल्पकालिक गहन प्रशिक्षण- अल्पकालिक गहन प्रशिक्षण देश भर में 4 नगरों में कुल 7 अल्पकालिक गहन प्रशिक्षण केंद्र चलाए जा रहे हैं। इन प्रशिक्षण केंद्रों पर हिंदी शब्द संसाधन/ हिंदी टंकण प्रशिक्षण 40 पूर्ण कार्य दिवस तथा हिंदी आशुलिपि प्रशिक्षण 80 पूर्ण कार्य दिवस प्रदान किया जाता है।

(3) पत्राचार पाठ्यक्रम- जिन नगरों में, हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि प्रशिक्षण केंद्र स्थापित नहीं है, वहाँ अवस्थित केंद्र सरकार और केंद्र सरकार के उपक्रमों, उद्यमों आदि के कार्यालयों के कर्मचारियों के लिए हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण का प्रशिक्षण पत्राचार माध्यम से भी प्रदान किया जाता है। हिंदी शब्द संसाधन/ हिंदी टंकण पत्राचार पाठ्यक्रम स्कंध का कार्यालय नई दिल्ली में स्थित है, जिसका पता निम्नलिखित है:-

उप निदेशक (टंकण/आशुलिपि)

हिंदी शब्द संसाधन/ हिंदी टंकण पत्राचार पाठ्यक्रम स्कंध,

केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान,

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार,

2-ए, पृथ्वीराज रोड, नई दिल्ली- 110011

ई-मेल-ddtc-cthi-dol@nic.in

दूरभाष-011-23018196

फैक्स-011-23793521

प्रश्न: 7 क्या हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण प्रशिक्षण पत्राचार माध्यम से भी प्रदान किया जाता है? पत्राचार पाठ्यक्रम के लिए किस पते पर संपर्क किया जाए?

उत्तर: हाँ। उत्तर संख्या 6(3) देखें।

प्रश्न: 8 क्या हिंदी आशुलिपि प्रशिक्षण पत्राचार माध्यम से भी प्रदान किया जाता है?

उत्तर: नहीं। हिंदी आशुलिपि प्रशिक्षण पत्राचार माध्यम से प्रदान नहीं किया जाता।

प्रश्न: 9 हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि परीक्षा उत्तीर्ण करने पर कौन-कौन से वित्तीय लाभ देय हैं ?

उत्तर: (1) हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत हिंदी शब्द संसाधन/ हिंदी टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करने पर कर्मचारी को निम्नलिखित वित्तीय लाभ प्रदान किए जाते हैं:-

(I) वैयक्तिक वेतन- निर्धारित शर्तें पूरी करने पर कर्मचारी को एक वेतन वृद्धि के बराबर 12 महीने की अवधि के लिए वैयक्तिक वेतन प्रदान किया जाता है।⁶

(II) नगद पुरस्कार- कर्मचारी को हिंदी शब्द संसाधन/ हिंदी टंकण परीक्षाएं अच्छे अंकों से उत्तीर्ण करने पर पात्रतानुसार निम्नलिखित नगद पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं:-⁷

(i) 97% या इससे अधिक अंक प्राप्त करने पर रुपए 6000/-

(ii) 95% या इससे अधिक परंतु 97% से कम अंक प्राप्त करने पर रुपए 4000/-

(iii) 90% या इससे अधिक परंतु 95% से कम अंक प्राप्त करने पर रुपए 2000/-

(III) एक मुश्त पुरस्कार- वे कर्मचारी जो ऐसे स्थानों पर तैनात हैं जहां हिंदी शिक्षण योजना के प्रशिक्षण केंद्र नहीं हैं अथवा जहां हिंदी शब्द संसाधन/ हिंदी टंकण प्रशिक्षण की व्यवस्था नहीं है, पत्राचार पाठ्यक्रम से हिंदी शब्द संसाधन/ हिंदी टंकण प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले अथवा निजी प्रयत्नों से परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले कार्मिक वैयक्तिक वेतन, नगद पुरस्कार के अतिरिक्त एकमुश्त प्रकार के भी हकदार हैं। वर्तमान में यह राशि ₹4000/- है।⁸

[\(6\) कार्यालय जापन संख्या-12014/2/76-रा.भा.\(डी\) दिनांक 02-09-1976 पैरा 1\(4\).](#)

[\(7\) कार्यालय जापन संख्या-15/5/69-हिंदी \(1\) दिनांक 14-05-1969 तथा कार्यालय](#)

[जापन संख्या-21034/66/2010- रा.भा.\(प्रशि.\) दिनांक 29-07-2011. तथा](#)

[कार्यालय जापन संख्या-21034/25/2024- रा.भा.\(प्रशि.\) दिनांक 01-07-2025](#)

[\(8\) कार्यालय जापन संख्या-12013/3/76- रा.भा.\(डी\) दिनांक 21-05-1977 तथा](#)

[कार्यालय जापन संख्या-21034/66/2010- रा.भा.\(प्रशि.\) दिनांक 29-07-2011.](#)

[तथा कार्यालय जापन संख्या-21034/25/2024- रा.भा.\(प्रशि.\) दिनांक 01-07-2025.](#)

(2) हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत हिंदी आशुलिपिक परीक्षा उत्तीर्ण करने पर कार्मिक को कार्मिकों को निम्नलिखित वित्तीय लाभ प्रदान किए जाते हैं:-

(I) वैयक्तिक वेतन-

(i) अराजपत्रित हिंदी भाषी आशुलिपिकों को हिंदी आशुलिपि की परीक्षा उत्तीर्ण करने पर 12 महीने की अवधि के लिए 1 वेतन वृद्धि के बराबर वैयक्तिक वेतन प्रदान किया जाता है।

(ii) अराजपत्रित एवं राजपत्रित दोनों वर्ग के आशुलिपिकों को 50% या अधिक अंक लेकर हिंदी आशुलिपि परीक्षा उत्तीर्ण करने पर वैयक्तिक वेतन प्रदान किया जाता है।

[कार्यालय जापन संख्या-21034/08/2017-रा.भा.\(प्रशि.\) दिनांक 01-10-2025](#)

(iii) जिन आशुलिपिकों (राजपत्रित एवं अराजपत्रित दोनों) की मातृ भाषा हिंदी नहीं है, उन्हें हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत हिंदी आशुलिपि की परीक्षा उत्तीर्ण करने पर दो वेतन वृद्धियों के बराबर वैयक्तिक वेतन प्रदान किया जाता है। यह वेतन वृद्धि भावी वेतन वृद्धि में मिलाई जाएंगी। ऐसे कर्मचारियों को पहले वर्ष दो वेतन वृद्धियों के बराबर और दूसरे वर्ष पहली वेतन वृद्धि को मिला दिए जाने पर, केवल एक वेतन वृद्धि के बराबर वैयक्तिक वेतन प्रदान किया जाता है।⁹

(II) नगद पुरस्कार- कर्मचारी को हिंदी आशुलिपि परीक्षा अच्छे अंकों से उत्तीर्ण करने पर पात्रतानुसार निम्नलिखित नगद पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं:-¹⁰

(i) 95% या इससे अधिक अंक प्राप्त करने पर रुपए 6000/-

(ii) 92% या इससे अधिक परंतु 95% से कम अंक प्राप्त करने पर रुपए 4000/-

(iii) 88% से अधिक परंतु 92% प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर रुपए 2000/-

(III) एक मुश्त पुरस्कार- ऐसे कर्मचारी जो ऐसे स्थानों पर तैनात हैं जहां हिंदी शिक्षण योजना के प्रशिक्षण केंद्र नहीं है अथवा जहां हिंदी आशुलिपि प्रशिक्षण की व्यवस्था नहीं है, निजी प्रयत्नों से परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले कार्मिक वैयक्तिक वेतन, नगद पुरस्कार के अतिरिक्त एकमुश्त प्रकार के भी हकदार हैं। वर्तमान में यह राशि ₹7500/- है।¹¹

[\(9\) कार्यालय जापन संख्या-12014/2/76-रा.भा.\(डी\) दिनांक 02-09-1976 पैरा 1\(5\).](#)

[\(10\) कार्यालय जापन संख्या-15/5/69-हिंदी \(1\) दिनांक 14-05-1969 तथा कार्यालय जापन संख्या-21034/66/2010-रा.भा.\(प्रशि.\) दिनांक 29-07-2011.](#)

[\(11\) कार्यालय जापन संख्या-12013/3/76- रा.भा.\(डी\) दिनांक 21-05-1977 तथा कार्यालय जापन संख्या-21034/66/2010- रा.भा.\(प्रशि.\) दिनांक 29-07-2011.](#)

[तथा कार्यालय जापन संख्या-21034/25/2024- रा.भा.\(प्रशि.\) दिनांक 01-07-2025](#)

प्रश्न: 10 क्या हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत निजी प्रयत्नों से हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करने पर वित्तीय लाभ देय हैं ?

उत्तर: हाँ। कृपया उत्तर संख्या 9(I)(iii) देखें।

प्रश्न: 11 हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण अथवा हिंदी आशुलिपि परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत मिलने वाला वैयक्तिक वेतन किस तारीख से दिया जाता है ?

उत्तर: वैयक्तिक वेतन के लिए संबंधित कर्मचारी नीचे लिखी तारीखों में से कोई भी तारीख चुन सकता है:-

- (I) जिस महीने में परीक्षाफल घोषित होता है, उसके अगले महीने की पहली तारीख से, अथवा
- (ii) परीक्षा फल घोषित होने के बाद पड़ने वाली कर्मचारी की सामान्य वार्षिक वेतन वृद्धि की तारीख से।¹²

[\(12\) कार्यालय जापन संख्या-12014/2/76-रा.भा.\(डी\) दिनांक 02-09-1976 पैरा 4.](#)

प्रश्न: 12 क्या एमटीएस से पदोन्नत होकर अथवा अनुकंपा के आधार पर नियुक्त अवर श्रेणी लिपिक को नियमित बनाए जाने के लिए हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण परीक्षा को कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ली जाने वाली टंकण परीक्षा के बराबर माना जाएगा ?

उत्तर: जी हाँ। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 8 अगस्त, 1988 के कार्यालय जापन संख्या- 14020/1/88-Estt (D) के अनुसार दिनांक 23 मार्च, 1985 से हिंदी शिक्षण योजना के अधीन जारी किए गए टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए प्रमाण पत्र को अवर श्रेणी लिपिकों को नियमित बनाए जाने, वेतन वृद्धियों को प्राप्त करने आदि के प्रयोजनों से कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्र के बराबर माना जाएगा।¹³

[\(13\) कार्यालय जापन संख्या-14020/1/88-ईएसटीडी \(डी\) दिनांक 08-08-1988.](#)

प्रश्न: 13 क्या हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण की परीक्षा मंगल फॉन्ट में देनी अनिवार्य है?

उत्तर: भारत सरकार द्वारा कंप्यूटर पर देवनागरी में टाइपिंग के लिए इनस्क्रिप्ट की बोर्ड को मान्यता प्रदान की गई है। अतः हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण में प्रवेश लेने वाले नियमित प्रशिक्षार्थियों को इनस्क्रिप्ट की बोर्ड पर परीक्षा देना अनिवार्य है, जिसका डिफॉल्ट फॉन्ट मंगल है।

प्रश्न: 14 जिन कर्मचारियों ने सरकारी सेवा में आने से पहले ही हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण की परीक्षा उत्तीर्ण कर रखी है, क्या उनके लिए हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत एवं हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण की परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है?

उत्तर: नहीं। जिस कर्मचारी ने भारत सरकार की नौकरी में आने से पूर्व यह बताया है कि वह हिंदी टंकण जानता है अथवा जिस कर्मचारी ने सरकार से मान्यता प्राप्त संस्था से प्रशिक्षण किया है और हिंदी टंकण परीक्षा उत्तीर्ण की है उनके लिए हिंदी शिक्षण योजना की परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य नहीं है।¹⁴

[\(14\) \(i\) कार्यालय जापन संख्या-12014/2/76-रा.भा.\(डी\) दिनांक 02-09-1976 पैरा 1\(4\).](#)

[\(ii\) कार्यालय जापन संख्या-15/5/69-हिंदी \(1\) दिनांक 14-05-1969 तथा कार्यालय](#)

[जापन संख्या-21034/66/2010- रा.भा.\(प्रशि.\) दिनांक 29-07-2011.](#)

[\(iii\) कार्यालय जापन संख्या-12013/3/76- रा.भा.\(डी\) दिनांक 21-05-1977 तथा](#)

[कार्यालय जापन संख्या-21034/66/2010- रा.भा.\(प्रशि.\) दिनांक 29-07-2011.](#)

प्रश्न: 15 हिंदीतर भाषी कर्मचारियों के हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत हिंदी आशुलिपि परीक्षा उत्तीर्ण करने पर कौन-कौन से वित्तीय लाभ देय हैं ?

उत्तर: कृपया उत्तर संख्या 9(2) तथा 9(2)(iii) देखें।

प्रश्न: 16 क्या अंग्रेजी आशुलिपिक हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण तथा हिंदी आशुलिपि का प्रशिक्षण एक-एक करके प्राप्त कर सकते हैं? यदि वे ऐसा करते हैं तो क्या वे वित्तीय प्रोत्साहन पाने के हकदार होंगे?

उत्तर: राजभाषा विभाग के दिनांक 31 दिसंबर, 1977 के कार्यालय जापन संख्या- 12011/1/77- रा.भा.(डी) में यह व्यवस्था की गई है कि “ऐसे स्थानों पर तैनात आशुलिपिकों को जहां हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत हिंदी आशुलिपि के प्रशिक्षण केंद्र नहीं हैं, सुविधा दी जाए कि वे चाहे तो हिंदी शिक्षण योजना की हिंदी आशुलिपि परीक्षा सीधे पास करें और चाहे तो पहले हिंदी टाइपिंग की परीक्षा पास करें और फिर आशुलिपि की। यह भी निर्णय लिया गया है कि दूसरी स्थिति में ऐसे कर्मचारियों को वित्तीय प्रोत्साहन के रूप में मिलने वाले एकमुश्त पुरस्कार की आधी राशि (अर्थात् ₹1500/-) हिंदी टाइपिंग परीक्षा पास करने पर दी जाए और बाकी आधी राशि (अर्थात् ₹1500/-) हिंदी आशुलिपि की परीक्षा पास करने पर। लेकिन आशुलिपिकों को हिंदी टाइपिंग का प्रशिक्षण लेने अथवा परीक्षा पास करने के लिए अन्य कोई प्रोत्साहन (वैयक्तिक वेतन या नकद पुरस्कार) नहीं दिया जाएगा, परंतु हिंदी टाइपिंग परीक्षा देने के लिए उन्हें ये सभी सुविधाएं दी जाएगी जो उन कर्मचारियों को दी जाती हैं जिनके लिए हिंदी टाइपिंग का प्रशिक्षण अनिवार्य है।”¹⁵

[\(15\) कार्यालय जापन संख्या-12011/1/77- रा.भा.\(डी\) दिनांक 31 दिसंबर, 1977.](#)

प्रश्न: 17 क्या राजपत्रित अधिकारियों को हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि प्रशिक्षण के उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण करने पर वित्तीय लाभ देय होंगे ?

उत्तर: (i) हां, राजपत्रित आशुलिपिकों को हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत हिंदी आशुलिपि परीक्षा उत्तीर्ण करने पर सभी वित्तीय लाभ देय होंगे। कृपया उत्तर 9(2) का अवलोकन करें।

(ii) किंतु अन्य राजपत्रित अधिकारियों को हिंदी शब्द संसाधन/ हिंदी टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करने पर कोई वित्तीय प्रोत्साहन देय नहीं है।¹⁶

[\(16\) कार्यालय जापन संख्या-21034/76/2008-रा.भा.\(प्रशि.\)/\(ii\) दिनांक 03-12-2008.](#)

प्रश्न: 18 क्या केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान/हिंदी शिक्षण योजना द्वारा हिंदी आशुलिपि तथा हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण प्रशिक्षण के लिए कोई पाठ्यपुस्तक भी प्रकाशित की गई है? यदि हाँ तो क्या यह बाजार में उपलब्ध हैं ?

उत्तर: जी हां। केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान द्वारा हिंदी आशुलिपि प्रशिक्षण के लिए “मानक आशुलिपि” तथा हिंदी शब्द संसाधन/ हिंदी टंकण प्रशिक्षण के लिए “हिंदी शब्द संसाधन” पाठ्य पुस्तकें प्रकाशित की गई हैं। ये पाठ्यपुस्तकें खुले बाजार में बिक्री के लिए उपलब्ध नहीं हैं, किंतु केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान की वेबसाइट www.chti.rajbhasha.gov.in पर इन पाठ्य पुस्तकों का नवीनतम संस्करण निःशुल्क डाउनलोड के लिए उपलब्ध है।

प्रश्न: 19 हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि के अंशकालिक प्रशिक्षण केंद्रों से क्या अभिप्राय है? इनकी स्थापना कैसे की जाती है ?

उत्तर: (i) ऐसे स्थानों पर नियुक्त अंग्रेजी आशुलिपिकों और अंग्रेजी टंककों इत्यादि, जहां हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत हिंदी आशुलिपि अथवा हिंदी शब्द संसाधन/ हिंदी टंकण प्रशिक्षण के लिए नियमित प्रशिक्षण केंद्र स्थापित नहीं किए गए हैं, अंशकालिक प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना कर प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाती है। अंशकालिक प्रशिक्षण केंद्र की व्यवस्था किसी नगर में कार्यालय विशेष द्वारा अथवा नराकास स्तर पर की जा सकती है और उस कार्यालय के ही किसी कार्मिक को उस पर अंशकालिक अनुदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है। ऐसे अंशकालिक अनुदेशक को हिंदी शिक्षण योजना द्वारा अलग से मानदेय प्रदान किया जाता है।¹⁷

(ii) अंशकालिक प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना के लिए औपचारिकताएं क्षेत्रीय उप निदेशकों द्वारा पूरी की जाती हैं। इसके लिए अपने कार्यालय क्षेत्र (नगर) में अवस्थित अन्य कार्यालयों की सूची और वहां प्रशिक्षण के लिए शेष कर्मचारियों की संख्या (कार्यालयवार) का विवरण भेजते हुए क्षेत्रीय उप निदेशक से अनुरोध किया जाना चाहिए। क्षेत्रीय उप निदेशक के कार्यालय का पता आदि का विवरण संस्थान की वेबसाइट www.chti.rajbhasha.gov.in पर उपलब्ध है।

[\(17\) कार्यालय जापन संख्या-21034/66/2009-रा.भा.\(प्रशि.\)/\(ii\) दिनांक 04-04-2012.](#)

प्रश्न: 20 क्या हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि प्रशिक्षण के लिए कर्मचारियों/अधिकारियों से कोई शुल्क लिया जाता है ?

उत्तर: जी नहीं। तथापि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, राष्ट्रीयकृत बैंकों, निगमों, निकायों के कार्मिकों से 100/- रुपए प्रति प्रशिक्षार्थी की दर से परीक्षा शुल्क लिया जाता है।¹⁸

[\(18\) कार्यालय जापन संख्या-21034/52/2010-रा.भा.\(प्रशि.\) दिनांक 14-12-2010 .](#)

प्रश्न: 21 हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण का प्रशिक्षण किस की बोर्ड पर दिया जाता है ?

उत्तर: केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान/ हिंदी शिक्षण योजना के प्रशिक्षण केंद्रों पर हिंदी शब्द संसाधन/ हिंदी टंकण का प्रशिक्षण, हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण का प्रशिक्षण इनस्क्रिप्ट की बोर्ड पर दिया जाता है।

प्रश्न: 22 क्या हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि की परीक्षा प्राइवेट प्रशिक्षार्थी के रूप में भी दी जा सकती है?

उत्तर: जी हाँ। इसके लिए कर्मचारी के कार्यालय को निर्धारित नामिनल रोल, आवेदन पत्र आदि भरते हुए उप निदेशक, हिंदी शिक्षण योजना (परीक्षा) के कार्यालय से निम्नलिखित पते पर अनुरोध करना चाहिए।

उप निदेशक,

हिंदी शिक्षण योजना (परीक्षा),

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय,

भारत सरकार,

लेवल-6, ईस्ट ब्लॉक-7, सैक्टर-1,

आर. के. पुरम, नई दिल्ली-110066

दूरभाष-011-26175176

फैक्स-011-26162093

ई-मेल-ddhts-exam-dol@nic.in

प्रश्न: 23 यदि कोई कर्मचारी हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि का प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरांत हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है तो उसे किस श्रेणी में समझा जाएगा? प्रशिक्षित या अप्रशिक्षित?

उत्तर: अप्रशिक्षित। कर्मचारी जब तक हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण अथवा हिंदी आशुलिपि परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो जाता उसे अप्रशिक्षित माना जाएगा।

प्रश्न: 24 हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि प्रशिक्षण के नए केंद्र स्थापित करने की क्या प्रक्रिया है?

उत्तर: किसी नगर/महानगर में अवस्थित केंद्र सरकार तथा इसके अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, राष्ट्रीयकृत बैंकों, निगमों और निकायों आदि कार्यालयों में हिंदी शब्द संसाधन/ हिंदी टंकण तथा हिंदी आशुलिपि प्रशिक्षण के लिए शेष कार्मिकों की संख्या के आधार पर वहां पूर्णकालिक अथवा अंशकालिक प्रशिक्षण केंद्र खोलने का निर्णय लिया जाता है। एक पूर्णकालिक प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना के लिए उस नगर में कम से कम 4-5 साल तक प्रशिक्षण के लिए पर्याप्त प्रशिक्षार्थी उपलब्ध हों तो ऐसे मामलों पर विचार किया जा सकता है। अथवा वहां अंशकालिक प्रशिक्षण केंद्र खोलने पर विचार किया जाता है। ऐसे मामलों में हिंदी शिक्षण योजना के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को, नगर में अवस्थित सभी कार्यालयों में प्रशिक्षण के लिए शेष कार्मिकों की सूची कार्यालय वार भेजते हुए, आवेदन किया जाना चाहिए। क्षेत्रीय कार्यालयों के पतों की सूची केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान की वेबसाइट www.chti.rajbhasha.gov.in पर उपलब्ध है।

प्रश्न: 25 हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि नए केंद्र प्रशिक्षण केंद्र को स्थापित करने के लिए किन-किन मूलभूत बुनियादी सुविधाओं की आवश्यकता होती है?

उत्तर: इसके लिए एक वातानुकूलित प्रशिक्षण कक्ष जिसमें कम से कम 15 कंप्यूटर, एक ऑनलाइन प्रिंटर, एक ऑनलाइन 5 केवीए का ups, कंप्यूटर फर्नीचर स्थापित हों, की आवश्यकता होती है।

प्रश्न: 26 क्या हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण की परीक्षा के प्रमाण पत्र का उपयोग रोजगार पाने के लिए भी किया जा सकता है?

उत्तर: जी नहीं।

प्रश्न: 27 क्या आयु के आधार पर हिंदी शब्द संसाधन/ हिंदी टंकण तथा हिंदी आशुलिपि प्रशिक्षण से छूट प्राप्त है?

उत्तर: जी नहीं।

प्रश्न: 28 अनिवार्य श्रेणी में से किन कर्मचारियों को हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण प्रशिक्षण से छूट प्राप्त है?

उत्तर: किसी को नहीं।